

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 01 / स्था.(एम.ए.सी.पी.)-18-05 / 2013..... / रॉची, दिनांक:..... /

शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना सं.-6565 दिनांक 06.11.2013 द्वारा झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ की स्वीकृति दी गई है। उक्त अधिसूचना में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

अधिसूचना संख्या-6565 दिनांक 06.11.2013 के क्रमांक-82 के कंडिका-04 में 31.01.79 अंकित है, उसे 30.01.79 पढ़ा जाय। कंडिका-05 में 31.01.09 अंकित है, उसे 30.01.09 पढ़ा जाय।

अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, रॉची, पो0-हिन्नु, रॉची / उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :-

1679

रॉची, दिनांक :-

24-2-14

प्रतिलिपि:- सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची / सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग / सचिव, मंत्रीमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित) / सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड / वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sheel
19.2.14

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।